सूबेदार मेजर जगदीश सिंह वगैरह बनाम विद्याधर वगैरह
मु.नं. 219/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	07/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 27/02/25 को पेश हो। [illegible]
	27/02/25 पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में दिनांक 26/03/25 को पेश हो। [illegible]
26/03/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते कुरेजात दिनांक 25/04/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
25/04/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/1182 दिनांक 01/04/2025 द्वारा कुरेजात प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है वास्ते बहस/अवलोकन कुरेजात पत्रावली दिनांक 30/04/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)
30/04/25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। वादपत्र एवं कुरेजात पर बहस उभयपक्ष वकील की गयी। कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी। हमने उभयपक्ष वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली व तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। बहस उभयपक्ष वकील पर मनन करने एवं पत्रावली व प्राप्त कुरेजात के अवलोकन के आधार पर वादी बाद दावा

Scanned with OKEN Scanner

सूबेदार मेजर जगदीश सिंह बनाम बिजय सिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु. नं. 21/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 30/4/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	

कारी

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

प्रकरण संख्या 219/2022
दायर दिनांक 06.07.2022
निर्णय दिनांक 30.04.2025

उनवान

1. सूबेदार मेजर (रिटायर्ड) जगदीश सिंह पुत्र फतेहसिंह उम्र 62 वर्ष जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल निवासी देवतवाल कॉलोनी बडियाल रोड बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

1. विक्रम सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल निवासी बी 9 पहल सिटी 2 एम एल श्री गंगानगर, राजस्थान
2. मानसिंह पुत्र सुमेर सिंह (फौत के बजाय)

2/1 उषा कंवर पत्नि स्व. मानसिंह उम्र 42 वर्ष
2/2 युवराज सिंह पुत्र स्व. मानसिंह उम्र 22 वर्ष
2/3 स्नेहा राजावत पुत्री स्व. मानसिंह उम्र 18 वर्ष
समस्त जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

3. हेमलता सिंह पुत्री सुमेर सिंह पत्नि रोहित सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी प्लाट नंबर 67 ग्रीनपार्क एफ कॉलोनी नांगल जैसा बोहरा धीरावत मैरिज गार्डन के पास झोटवाडा जयपुर
4. उम्मेदसिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा हाल निवासी आवास विकास कॉलोनी सैक्टर नंबर 8 हाउस नंबर 572 बोदला, आगरा, उत्तरप्रदेश
5. महेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा हाल निवासी गढ के सामने वार्ड नंबर 35 जागीर बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा
6. रामसिंह पुत्र जालिम सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा
7. रूपसिंह पुत्र जालिम सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा
8. विजेन्द्र सिंह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा
9. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. बहादुर सिंह जाति राजपूत निवासी चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान
10. शशिकंवर पुत्री बहादुर सिंह पत्नि नरेन्द्रसिंह जाति राजपूत हाल निवासी प्लॉट नंबर 15 आनंद विहार कॉलोनी अनोखागांव होटल के पास सीकर रोड, जयपुर राजस्थान

11. रामेश्वर प्रसाद सैनी पुत्र जयनारायण जाति माली निवासी गिरधारी का गोला चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान
12. यूको बैंक शाखा बडियाल कलां जरिये प्रबंधक तहसील बसवा जिला दौसा
13. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय बसवा

दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 30.04.2025

वादी द्वारा विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय से पेश किया कि रामा ग्राम चोरवाडा तहसील बसवा जिला दौसा, राजस्थान में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03, 6, 7 व 11 की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 83 पुराना 85 आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 1.19 हैक्टेयर चाही 01, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.75 चाही 01, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.06 हैक्टेयर गै. मु. गूणी, खसरा नम्बर 239 रकबा 1.09 हैक्टेयर चाही 1, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.61 चाही 01 कुल किता 5 कुल रकबा 3.70 हैक्टेयर स्थित चली आ रही है जिसमें वादी का 1/4 वां हिस्सा व प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज जमाबन्दी है। तथा इस खाता संख्या की आराजी का सभी खातेदार हिस्सेदारों ने सरस नरस तरीके से हिस्से अनुसार बंटवारा कर रखा है तथा उस पर काबिज है काश्त करते चले आ रहे है तथा वादी ने व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा बाहमी तौर पर सरस नरस बंटवारा अनुसार खाम व पुख्ता निर्माण कर काबिज है तथा वादी द्वारा बाहमी बंटवारे में आई भूमि पर लागत व परिश्रम लगाकर उपजाउ बना लिया है तथा वादी ने सरस नरस अनुसार बाहमी बंटवारा में अपने हिस्से अनुसार आई भूमि पर तारबन्दी करवाकर हद बना रखी है तथा उस पर नर्सरी बना रखी है तथा विद्युत कनैक्शन ले रखा है तथा वादी सरस–नरस अनुसार बाहमी तौर पर हुये बंटवारा अनुसार अपने हिस्से में आई उसके द्वारा उन्नत, उपजाउ व हद तय की गई भूमि ही तकास्मा करवा कर प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 10 की कब्जे काश्त सहखातेदारी की भूमि वाके रामा चोरवाडा, पटवार हल्का मूण्डघीस्या, भू.अभि. नि. बडियालकला तहसील बसवा जिला दौसा में खाता संख्या नया 84 पुराना 84 आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 0.98 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.20 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा नम्बर 111 रकबा 0.17 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.1800 खातली, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.15 हैक्टेयर बारानी 3 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.10 गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.26 बंजड, खसरा नम्बर 135/780 रकबा 0.20 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.14 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.09 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 18 रकबा 1.60 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.08 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.54 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.53 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 32 रकबा 0.70 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 51

αψε-

रकबा 0.46 बारानी 3, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.99 हैक्टेयर बंजड कुल किता 17 कुल रकबा 7.37 हैक्टेयर स्थित चली आ रही है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 10 की सहखातेदारी की भूमि है उक्त भूमि को वादपत्र में मुतदाविया भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है। जिसमें वादी का 1/5 वां हिस्सा दर्ज जमाबन्दी है। जिसका वादी खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा भी दर्ज जमाबन्दी है तथा वाके रामा चोरवाडा, पटवार हल्का मूण्डघीस्या भू अभि.नि. बडियाल कला तहसील बसवा जिला दौसा के खाता संख्या नया 80 पुराना 80 के आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 0.93 हैक्टेयर, स्थित चली आ रही है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीसंख्या 01 लगायत 03 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा चला आ रहा है। मुतदाविया भूमि का विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है भूमि को सह खातेदारान ने मौके पर सरस नरस तौर पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर लाभान्वित होते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी की भूमि है वादी समस्त भूमि का सहखातेदार दर्ज हिस्से अनुसार बाहमी तौर पर भूमि मुतदाविया पर काश्त करता चला आ रहा है खातेदारी शामलाती होते हुये भी वादी हिस्से अनुसार भूमि पर अलग से काबिज है तथा वादी नियमानुसार हिस्से अनुसार भूमि मुतदाविया पर अपने हिस्से अनुसार तकास्मा करवाने का अधिकारी है। वादपत्र के पैरा नम्बर 01 व 02 में वर्णित भूमि का विधिवत तकास्मा नही होने के कारण वादी राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली कृषक सहायता राशि व अन्य योजनाओं का लाभनही उठा पा रहा है। भूमि मुतदाविया का वादी व प्रतिवादी के मध्य विधिवत तकास्मा नही होने से दिनांक 01.07.2022 को भी जब वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर शूड करने व खाद डालने गये तो मौके पर विवाद उत्पन्न हो गया इस पर वादी ने भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने की कही तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। व बिना विधिवत तकास्मा हुये राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जा रही कृषक सहायता प्राप्त करने में वादी को असुविधा होती है प्रतिवादीगण जो येन केन प्रकारेण वादी को नुकसान पहुँचाना चाहते है व भूमि का बिना विधिवत तकास्मा हुये ही दीगर सख्स को रहन बय करने पर आमादा हो रहे है। अगर प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा दीगर दीवानी व फौजदारी मुकदमें पक्षकारान के मध्य चल पडेगे। तथा वादीगण को अपने जायज हक हकूक व हिस्से की भूमि से वंचित होना पडेगा जिसकी पूर्ती किसी भी कदर नही हो पायेगी। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाकर वादपत्र के पैरा नम्बर 01 व 02 में वर्णित भूमि में वादी के हिस्से में किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करने व भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा हुये बिना निर्माण कार्य करने से दीगरान को रहन बय हस्तान्तरित करने से वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी करने से पाबन्द फरमाया जावे। सह खातेदार रामबती देवी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज नही होने से रामबती के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01

Scanned with OKEN Scanner

लगायत 03 को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है जिनमें प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सहखातेदार पूर्व से दर्ज है। एंव प्रतिवादी संख्या 12 के यहाँ भूमि रहन होने के कारण प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है उसके विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरुद्व प्रतिवादी निम्नांकित भांति से डिक्री फरमाया जावे:– (अ) डिक्री तकास्मा सादिर फरमाई जाकर मुतदाविया भूमि वाके रामा चोरवाडा, पटवार हल्का मूण्डधिस्या भू.अभि. नि. बडियालकला तहसील बसवा जिला दौसा में खाता संख्या नया 83 पुराना 85 आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 1.19 हैक्टेयर चाही 01, खसरा नम्बर 236 रकबा 0.75 हैक्टेयर चाही 01, खसरा नम्बर 237 रकबा 0.06 हैक्टेयर गै.मु.गूणी, खसरा नम्बर 239 रकबा 1.09 हैक्टेयर चाही 1, खसरा नम्बर 240 रकबा 0.61 चाही 01 कुल किता 5 कुल रकबा 3. 70 हैक्टेयर स्थित चली आ रही है जिसमें वादी का 1/4 वां हिस्सा दर्ज जमाबन्दी है का वादी व प्रतिवादीगण के कब्जे, खाम व पुख्ता निर्माण, बाहमी बंटवारे की हद व रिहायश अनुसार रास्तों का ध्यान रखते हुये एंव खाता संख्या नया 84 पुराना 84 आराजी खसरा नम्बर 104 रकबा 0.98 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 109 रकबा 0.20 हैक्टेयर बारानी 1. खसरा नम्बर 111 रकबा 0.17 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.1800 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 128 रकबा 0.15 हैक्टेयर बारानी 3 खसरा नम्बर 131 रकबा 0.10 गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 135 रकबा 0.26 बंजड, खसरा नम्बर 135/780 रकबा 0.20 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.14 हैक्टेयर बारानी 1, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.09 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 18 रकबा 1.60 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 19 रकबा 0.08 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 30 रकबा 0.54 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 31 रकबा 0.53 हैक्टेयर खातली, खसरा नम्बर 32 रकबा 0. 70 हैक्टेयर बंजड, खसरा नम्बर 51 रकबा 0.46 बारानी 3, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.99 हैक्टेयर बंजड कुल किता 17 कुल रकबा 7.37 हैक्टेयर तथा खाता संख्या नया 80 पुराना 80 के आराजी खसरा नम्बर 66 रकबा 0.93 हैक्टेयर, रिकार्ड अनुसार वादी का अलग से पर्चा खातेदारी कायम कराया जावे, रास्ते व कब्जे तथा रिहायाश को ध्यान में रखते हये सरस नरस विभाजन किया जावे व उस अनुसार नक्शा देश से तरमीम कराई जावे व लगान का विभाजन किया जावे।
(ब) प्रतिवादी को सदैव के लिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादपत्र के पैरा नम्बर 01 व 02 में वर्णित भूमि मुतदाविया में वादी के हिस्से व कब्जे तथा रिहायश को बिना तकास्मा कराये जयें रहन, बैय बकसीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित करने से व स्वंय या अपने परिवारजन व गिरोह के जरिये मुतदाविया भूमि के किसी भी भाग पर पुख्ता या खाम निर्माण करने से व वादीगण को उनके हिस्से खातेदारी की भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर स्वंय का नाजाईज कब्जा करने से दीगरान का आधिपत्य करवाने से व वादीगण को उनके हिस्से की भूमि में काश्त करने में बाधा डालने से बाज व मुमतना रहे।
(स) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी नम्बर 01 लगायत 10 से दिलाया जावे।

अ५६-

Scanned with OKEN Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस विधिवित की गयी। प्रतिवादीगण संख्या 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 11 लगायत 13 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जबाब दावा मय काउन्टर वाद पेश किया है कि वाद पत्र का पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि खाता संख्या 83 का मुताबिक जमाबंदी में हिस्से अनुसार बहामी बंटवारा कर काबिज काश्त होना स्वीकार है। वाद पत्र का पैरा नं. 02 में वर्णित भूमि खाता संख्या 84 के खसरा नंबर 104, 109, 111, 112, 128, 131, 135, 135/780, 144, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 51, 52 कुल किता 17 कुल रकबा 7.37 हैक्टेयर में राजस्व अभिलेख जमाबंदी में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत हिस्से दर्ज कर रखे है। उक्त भूमि भू प्रबंध से पूर्व साबिका नंबर 3 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा ,साबिका नं. 4 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, साबिका नं. 65 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, साबिका नं. 67 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा, साबिका नं. 69 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, साबिका नं. 72 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा, साबिका नं. 76 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, साबिका नं. 80 रकबा 7 बिस्वा, साबिका नं. 98 रकबा 12 बिस्वा, साबिका नं. 99 रकबा 15 बिस्वा, साबिका नं. 116 रकबा 19 बिस्वा रहे है जिसका तत्कालीन खातेदार जालिमसिंह पुत्र रेवडसिंह हिस्सा 1/3, फतेहसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 1/3, दौलतसिंह पुत्र भूरासिंह हिस्सा 1/3 रहे है। जिसका इन्द्राज साबिका जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में एक संवत् 2033 से 2036 में हो रहा है। इस प्रकार खाता संख्या 84 में 1/3 हिस्से के खातेदार जालिमसिंह के वारिस मिन प्रतिवादी संख्या 07 एवं प्रतिवादी संख्या 06 है। एवं 1/3 हिस्से में फतेहसिंह के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 है एवं 1/3 हिस्से के दौलतसिंह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 04, 05, 08, 09, 10 है। इस प्रकार खाता संख्या 84 में वादी का सही एवं वास्तविक हिस्सा 1/6 है एवं प्रतिवादीगण संख्या 01,02,03 का सम्मिलित हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/12 एवं प्रतिवादी संख्या 05 का हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादीगण संख्या 06, 07 का हिस्सा 1/6-1/6 है। एवं प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 10 का प्रत्येक का हिस्सा 1/36-1/36 है तथा उसी हिस्से अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेग्रीकेशन के दौरान पक्षकारान के हिस्सो का गलत इन्द्राज कर दिया। जिससे वादी का वास्तविक हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/5 गलत हिस्सा दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व उनकी माता मृतक रामवती देवी का सम्मिलित हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 04 का हिस्सा 1/12 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/10 दर्ज कर दिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 06 व 07 का हिस्सा 1/6-1/6 हिस्सो के स्थान पर गलत हिस्सा 1/10-1/10 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया एवं प्रतिवादी संख्या 08 लगायत 10 का प्रत्येक का हिस्सा 1/36-1/36 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/30-1/30 दर्ज कर दिया तथा उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराये बिना वादी को गलत इन्द्राज की आड में दावा तकासमा कराने का विधिक अधिकार नहीं है तथा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। वाद पत्र का पैरा न. 03 जिस प्रकार वर्णित है स्वीकार नहीं है वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 84 का साबिका जमाबंदी अनुसार मुताबिक सजरा एवं वास्तविक हिस्से अनुसार दुरूस्ती करवाते हुये मुताबिक दुरूस्ती तकास्मा कराने का वादी अधिकारी है। उक्त गलत जमाबंदी के आधार पर वादी को तकास्मा कराने का कानूनन कोई विधिक अधिकार नहीं होने से दावा वादीगण खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का पैरा नं. 04 में वर्णित तथ्य गलत है स्वीकार नहीं है। पक्षकारान बहामी बंटवारा अनुसार काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व कर्मचारियो की त्रुटि से जमाबंदी में गलत इन्द्राज कर हिस्सा कम–ज्यादा कर दिये तथा उक्त गलत इन्द्राज की आड में वादी को तकासमा कराने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। वाद पत्र का पैरा नं. 05 कतई गलत है स्वीकार नहीं है।वादी जमाबंदी में दर्शित गलत इन्द्राज के आधार पर भूमि का तकास्मा कराने का अधिकारी नहीं है। वाद पत्र का पैरा नं. 06 गलत है स्वीकार नहीं है। वादी स्वयं यह जानते हुये कि खाता संख्या 84 मे उसका सही हिस्सा 1/6 दर्ज कर दिया तथा उक्त गलत हिस्से के आधार पर प्रतिवादी संख्या 06 व 07 के हिस्से की भूमि को हडपना चाहता है। जिसका वादी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। तथा वादी को प्रतिवादी के वास्तविक हिस्से के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा वादी को प्रतिवादी के वास्तविक हिस्से के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने का कोई विधिक अधिकार नहीं होने से दावा वादी खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का पैरा नं. 07 कानूनी है जबाब मोहताज नहीं है। वाद पत्र का पैरा नं. 08 कानूनी है। जबाब मोहताज नहीं है। वाद पत्र का पैरा नं. 09 वादी को वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होने से दावा वादी खारिज होने योग्य है। वाद पत्र का पैरा नं. 10,11 कानूनी है। जबाब मोहताज नहीं है। इस्तदुआ का पैरा अ, ब, स, द अस्वीकार है।

प्रतिवादीगण संख्या 07 द्वारा काउण्टर वाद प्रस्तुत किया कि भूमि काश्त खाता संख्या 84 के खसरा नंबरा 104 रकबा 0.98 हैक्टेयर, खसरा नंबर 109 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नंबर 111 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 112 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नंबर 128 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नंबर 131 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नं. 135 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नं. 135/780 रकबा 0.20 हेक्टेयर, खसरा नं. 144 रकबा 0.17 हेक्टेयर, खसरा नं.17 रकबा 0.09 हेक्टेयर खसरा नं. 18 रकबा 1.60 हेक्टेयर खसरा नं 19 रकबा 0.08 हेक्टेयर खसरा नं. 30 रकबा 0.54 रेक्टेयर, खसरा नं 31 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नं. 32 रकथा 0.70 हेक्टेयर, खसरा नं. 51 रकबा 0.46 हेक्टेयर, खसरा नं. 52 रकबा 0.99 हेक्टेयर कुल किता 17 कुल रकबा 7.37 हैक्टेयर का भू–प्रबन्धक से पूर्व साबिका जमाबन्दी संवत् 2018 से 2021 एवं 2033 से 2036 के अनुसार उपरोक्त भूमि का 1/3 हिस्से में जालिमसिंह पुत्र रेवडसिंह 1/3 हिस्से में फतेहसिंह पुत्र भंवरसिंह 1/3 हिस्से में दौलत सिंह पुत्र भूरासिंह है। खातेदार काश्तकार रहे है तथा उसी अनुसार प्रतिवादीगण सं. 06, 07 जालिमसिंह के पुत्र होने से जालिम सिंह के हिस्सा 1/3 में दोनों का बराबर 1/6–1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा उक्त खाते में

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी में गलत हिस्से दर्ज कर दिये जबकि वादी का सही एवं वास्तविक हिस्सा 1/6 है। एवं प्रतिवादीगण सं. 01, 02, 03 का सम्मिलित हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादी सं. 04 का हिस्सा 1/12 एवं प्रतिवादी सं. 05 का हिस्सा 1/6 एवं प्रतिवादीगण सं. 06 व 07 का हिस्सा 1/6–1/6 है एवं प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 का प्रत्येक का हिस्सा 1/36–1/36 है तथा उसी हिस्से अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सैग्रीकेशन के दौरान पक्षकारान के हिस्सों का गलत इन्द्राज कर दिया। जिससे वादी का वास्तविक हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/5 गलत हिस्सा दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादीगण सं. 01, 02 व उनकी माता मृतक रामवती देवी का सम्मिलित हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं प्रतिवादी सं. 04 का हिस्सा 1/12 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/10 दर्ज कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 05 का हिस्सा 1/6 के स्थान 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया एवं प्रतिवादीगण सं. 06 व 07 का 1/6–1/6 हिस्सो के स्थान पर गलत हिस्सा 1/10–1/10 हिस्सा गलत दर्ज कर दिया एवं प्रतिवादी सं. 08 लगायत 10 का प्रत्येक का हिस्सा1/36–1/36 के स्थान पर गलत हिस्सा 1/30–1/30 दर्ज कर दिया है। जिसको दुरुस्त किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के सही एवं वास्तविक रकबा का इन्द्राज किया जावें। इस हेतु काउण्टर वाद उद्घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती पेश है। वाद दुरुस्ती पक्षकारान का मुताबिक कब्जा, सरस–नरस तकास्मा किया जाकर खाता अलग–अलग किया जावें। वादी द्वारा दावा प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजात निकलवाने एवं अपने अधिवक्ता को दिखाने पर उक्त गलत हिस्सों का जमाबन्दी में इन्द्राज की जानकारी होने से एवं दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत करने से प्रतिवादी को काउन्टर वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है तथा अदालत हाजा को श्रवणाधिकार प्राप्त है एवं काउन्टर वाद अन्दर मियाद पेश है। अतः जवाब दावा मय काउन्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज फरमाया जाकर प्रवितादीगण का काउन्टरवाद डिकी फरमाया जावे।

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते नहीं करवाये जाने तकास्मा खाता संख्या 84 एवं 80 पेश कर अवगत करवाया कि उनवानी प्रकरण में वादी/प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 83, 84 एवं 80 रामा ग्राम चोरवाडा, पटवार हल्का मुंडघिस्या तहसील बसवा में अपने हिस्से की खातेदारी भूमि के तकास्मा हेतु वाद संस्थित किया गया था तथा अब वादी अपने खाता संख्या 84 व 80 की खातेदारी भूमि का तकास्मा नहीं करवा कर उसे अन्य खातेदारान के साथ संयुक्त व एकीकृत ही बनाये रखना चाहता है। ऐसी स्थिति में वादी अपने द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित वाद पत्र में खाता संख्या 83 की अपनी हिस्से की खातेदारी भूमि का ही तकास्मा करवाना चाहता है तथा इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुतोष के चरण संख्या (अ) में वर्णित खाता संख्या 83 की खातेदारी भूमि में उसके हिस्से का ही तकास्मा का अनुतोष प्रदान किया जाना व उसके बारे में ही स्थाई निषेधाज्ञा का व अन्य आनुसांगिक अनुतोष प्रदान किया जाना भी न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत

Scanned with OKEN Scanner

उनवानी प्रकरण मे वादपत्र में वर्णित अनुतोष के चरण संख्या(अ) में वर्णित खाता संख्या 83 के संदर्भ केवल वादी के हिस्से की भूमि का तकास्मा स्थाई निषेधाज्ञा एवं आनुसांगिक अनुतोष प्रदान किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। तथा अन्य खाता संख्या 84 व 80 बाबत कोई अनुतोष प्रदान नहीं किये जाने के भी आदेश फरमाये जाने बाबत निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रतिवादी रूपसिंह ने सहमति प्रदान की गयी। एवं अन्य पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया एवं सहमति प्रकट की। आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये । न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी 7 द्वारा काउन्टर वाद पेश किया गया जिसमे खाता संख्या 84 के संबंध में आपत्ती दर्ज की गयी थी। वादी खाता संख्या 84 एवं 80 को छोडकर 83 का ही तकास्मा चाहता है अन्य पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा वाद प्राथमिक डिक्री करने की सहमति दी गयी। इसलिये प्रार्थना पत्र वास्ते नहीं करवाये जाने तकास्मा खाता संख्या 84 एवं 80 ग्राम चोरवाडा बाबत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया। ग्राम चोरवाडा खाता संख्या नया 83 पुराना 85 वादी की संयुक्त खातेदारी भूमि है। संयुक्त खातेदार अपनी जोत का विभाजन कराने के अधिकारी है अतः दावा वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं संलग्न दस्तावेजातो के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद आंशिक रूप से प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बांदीकुई को कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक 1183 दिनांक 01.04.2025 द्वारा कुरैजात प्रस्ताव प्राप्त होकर शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव का वकील उभयपक्ष द्वारा अवलोकन किया गया। तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरैजात पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वादी वकील ने बहस में वाद में वर्णित तथ्यों तथा प्रतिवादीगण वकील द्वारा जबाब वाद में अंकित तथ्यों का दोहरान किया। हमने वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुरैजात का अवलोकन किया। कुर्रेजात अवलोकन से प्रकट है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार (भू.अ.) बांदीकुई द्वारा पक्षकारों को विधिवत सूचित कर मौके पर बरूये राजस्व रिकॉर्ड के बनाया जाना प्रकट होने से प्राप्त कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर वादी वाद को आंशिक रूप से अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर प्राप्त कुरैजात अनुसार आंशिक रूप से निम्न अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है–

क्रम संख्या	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा
1	रूपसिंह पुत्र जालिम सिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत खातेदार	234 मि. 239 मि. 240 मि.	0.1450 0.6800 0.0950
		किता 3	0.9200
2	जगदीश पुत्र फतेहसिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार	236 मि. 237 मि. 234 मि.	0.4000 0.0600 0.4600
		किता 3	0.9200
3	रूपसिंह पुत्र जालिम सिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सा. देह खातेदार जगदीश पुत्र फतेहसिंह हि. 1/2 जाति राजपूत सा. देह खातेदार	234 मि.	0.0100
		किता 1	0.0100
4	उषा पत्नि मानसिंह हि. जाति राजपूत सा. देह खातेदार युवराज पुत्र मानसिंह हि. जाति राजपूत सा.देह खातेदार स्नेहा पुत्री मानसिंह हि. जाति राजपूत सा. देह खातेदार विकम सिंह पुत्र सुमेरसिंह हि.जाति राजपूत सा. देह खातेदार हेमलता पुत्री सुमेरसिंह हि. जाति राजपूत सा. देह खातेदार	236 मि. 234 मि.	0.3500 0.5750
		किता 2	0.9250
5	रामेश्वर प्रसाद पुत्र जयनारायण जाति माली हि. सा. गिरधारी का गोला चोरवाडा रामसिंह पुत्र जालिम सिंह हि0 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	239 मि. 240 मि.	0.4100 0.5150
		किता 2	0.9250

कुर्रेजात, निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। अंतिम डिकी जारी हो। तहसीलदार बांदीकुई तदनानुसार राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

30/4/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

जज अदालत–न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई मुकाम–बॉदीकुई
जज इजलास– रामसिंह राजावत आर.ए.एस. उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बॉदीकुई
उनवान– सुबेदार मेजर जगदीश सिंह बनाम विकम सिंह वगै.
दावा बाबत– तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
प्रकरण सं.– 219/2022

आदेश है कि वादी वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नंबर 234, 236, 237, 239, 240 किता 5 रकबा 3.70 हैक्टेयर वाके ग्राम चोरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा में तहसीलदार बॉदीकुई से प्राप्त कुरैजात अनुसार वाद को आंशिक रूप से अंतिम डिकी किया जाता है। कुरैजात निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। तहसीलदार बॉदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। साथ ही प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत न करे।

निज..............................मुबलिग..
......................खर्चा इस मुकदमें के मय सूद मसरह फीसदी सालाना आज की तारीख ....बाबत.......................
से तारीख अदायगी तक का अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30 माह 04 सन् 2025 को जारी की गई।

30/4/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उप जिला कलक्टर
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामास्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल	स्आम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान	निल	निल

दस्तखत..............
ओहदा.....30/4/25.........

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner